14.9.18	पत्रावली पेश हुई। वकील पक्षी उप0। पक्षों द्वारा प्रस्तुत राजीनामा अ. धारा 136 रा.भू.अ. स्वीकार किया जाता है। अभिलेख निर्णय फरीक से रहित राजीनामा जाकर शामिल पत्रावली किया जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो व दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी (झुन्झुनूँ)

Scanned by CamScanner